<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>*शुद्धि पत्र संख्या – 10/2014–15*</u> *दिनांक : 31.10.2014*

कनिष्ठ लेखाकार/तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 08/परीक्षा/2013–14 दिनांक 18.09.2013 के संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

1. कनिष्ठ लेखाकार के पदों की योग्यता शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2014 के द्वारा निम्न प्रकार संशोधित कर दी गई है तथा तहसील राजस्व लेखाकार हेतु योग्यता पूर्ववत विज्ञापन अनुसार ही रहेगी :–

"Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section – 3 of the University Grants Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification recognised by the Government in consultation with the Commission **OR** must have passed Intermediate examination of the Institute of Cost and Works Accountants, Kolkata; **OR** Intermediate examination of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

AND

'O' or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC (NIELIT) under control of the Department of Electronics, Government of India; **OR** Computer Operator and Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organised under National/State Council of Vocational Training Scheme; **OR** Degree/Diploma in Computer Science/Computer Applications/Information Technology from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government; **OR** Diploma in Computer Science and Electronics/Information Technology from a Polytechnic Institution recognised by the Government; **OR** Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Ltd."

2 कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों के संबंध में विभागों से प्राप्त वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:– .

कनिष्ठ लेखाकार																				
पदों की संख्या	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछडा वर्ग				विशेष पिछडा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)
सामान्य 3207 पद	1078	308	123	30	374	108	42	10	280	80	32	08	491	140	56	14	24	7	02	0
टीएसपी क्षेत्र 290 पद	103	30	11	02	10	03	01	0	91	27	10	02	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल पद 3497	**1181**	**338**	**134**	**32**	**384**	**111**	**43**	**10**	**371**	**107**	**42**	**10**	**491**	**140**	**56**	**14**	**24**	**7**	**02**	**0**
दण्डवत आरक्षण :– मंत्रालयिक कर्मचारी 437 पद, उत्कृष्ट खिलाड़ी 69 पद, विशेष योग्यजन (कुल 105 पद) – (LD/CP - OA, OL, BL & HH)																				
तहसील राजस्व लेखाकार																				
सामान्य 144 पद	67	20	7	1	17	5	1	0	7	3	0	0	12	3	1	0	0	0	0	0
टीएसपी क्षेत्र 12 पद	5	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल पद 156	**72**	**22**	**7**	**1**	**17**	**5**	**1**	**0**	**11**	**4**	**0**	**0**	**12**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
दण्डवत आरक्षण :– विशेष योग्यजन (कुल 3 पद) – (LD/CP – 2, B/LV-1)																				

3. उक्त संशोधन के कारण ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक 25.10.2013 से बढ़ाकर अब दिनांक 21.11.2014 (रात्रि 12.00 बजे तक) की जाती है, इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।
4. जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया हुआ है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के अतिरिक्त अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी जो टी.एस.पी. क्षेत्र के हैं वे आयोग की वेब–साईट **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध लिंक का चयन कर उपलब्ध प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करें, ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को टी.एस.पी. क्षेत्र का मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। ऑनलाईन सूचना दिनांक 21.11.2014 तक ही दी जा सकती है। उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु नियमानुसार आरक्षित पदों के 5 प्रतिशत पद टी.एस.पी. (एस.सी), 45 प्रतिशत पद टी.एस.पी. (एस.टी) एवं शेष 50 प्रतिशत पद अनारक्षित वर्ग हेतु रखे जाने का प्रावधान है।
5. इस शुद्धि पत्र के तहत् आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2015 को आधार मानकर की जाएगी।
6. अभ्यर्थी सेवा प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से भरें। जो अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी दूसरे पद के लिए पात्र न हों उसे वे पद के प्राथमिकता क्रम में न भरें।
7. शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2014 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु तीन अवसर की सीमा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
8. पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी यदि अपने सेवा प्राथमिकता क्रम को बदलना चाहते हैं, तो आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध **Edit Application** में निर्धारित शुल्क राशि रूपये 100/– का टोकन प्राप्त कर **Online** संशोधन कर सकते हैं। केवल प्राथमिकता क्रम में बदलाव हेतु उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
9. विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

<u>*विस्तृत विज्ञापन*</u>

<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

क्रमांकः संयुक्त विज्ञापन सं.:–8/परीक्षा/2013–14 दिनांक :18.09.2013

आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं–

(शासन से रिक्त पदों का विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथासमय जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

क्रमांकः 1– कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के अन्तर्गत)

पद व विभाग	पद संख्या	आयु(दिनांक 01.01.14 को)	वेतनमान
कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि एवं विधिक कार्य विभाग)	150	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।	रनिंग पे बैण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड पे–11 (रू. 3600/–)

1. <u>योग्यता</u> – Must be Law Graduate from a University established by Law in India or its equivalent with three years course of proficiency(Professional) degree.
2. <u>अनिवार्य योग्यताः</u>– Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

आयु सीमा में छूट

क.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट

1	**भूतपूर्व कैदी** जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	**अन्य भूतपूर्व कैदी** जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर **अस्थाई नियुक्त व्यक्ति** अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें निरन्तर दो से अधिक अवसर नहीं दिये जावेंगे।
4.	**एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों** के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
5.	**राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव)** रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
6.	**पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों** के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
7.	**निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों** और **लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों** को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण के समय आयुसीमा की दृष्टि से पात्र थे।

<u>नोट</u> –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार"जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जाएगी।"

इस प्रकार *इस पद को आयोग द्वारा **वर्ष 2008** में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2009 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।*

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **<u>स्पष्टीकरणः</u>**– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
परीक्षा केंद्र व तिथि	परीक्षा राजस्थान के सभी **संभागीय मुख्यालयों** पर आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा तिथि यथाशीघ्र घोषित कर दी जाएगी।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित व साक्षात्कार के रूप में ली जायेगी। **सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** चतुर्थ प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। अन्य विवरण निम्नानुसार है–

Paper	Subject		Marks	Questions
I	Constitution of India with special emphasis on Fundamental Rights, Directive Principles and enforcement of rights through writs, Functioning of High Court and Supreme Court and attorney General.		50	150
II	Civil Procedure Code and Criminal, Procedure Code. Provisions required to be referred generally in Government Office will be given importance.		50	150
III	Evidence Act, Limitation Act, Interpretation of Statutes, drafting and conveyancing.		50	150
IV	Language :-	**Part-A** General Hindi	25	75
		Part-B General English	25	75

NOTE : (i)Each Paper shall be of 3 hours duration and the standard of the language paper will be that of senior secondary level.
(ii) Pass marks shall be 40% in each paper. The Commission may in its discretion award grace marks upto 1 in each paper and upto 3 in the aggregate. The Commission may fix minimum qualifying marks in the written examination for the scheduled caste and the scheduled tribe candidates lower than what is prescribed for other candidates. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate.

Viva-Voce : Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test, which shall carry **25 marks**.

आवेदन अवधि	**दिनांक** 20–09–2013 **से दिनांक** 20–10–2013 रात्रि 12–00 बजे तक

क्रमांकः 2– कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत)

(दोनों पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और अभ्यर्थियों से केवल प्राथमिकता क्रम भराये जाएंगे। जो अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी दूसरे पद के लिए पात्र न हों, उसे वे पद के प्राथमिकता क्रम में न भरें।)

क. सं.	पद व विभाग	पद संख्या	आयु (दिनांक 01.01.14 को)	वेतनमान
1	**कनिष्ठ लेखाकार** (कोष एवं लेखा विभाग)	**3491**	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।	**रनिंग पे बैण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड पे–11 (रू. 3600/–)**
2	**तहसील राजस्व लेखाकार** (राजस्व मंडल)	**156**		

योग्यता –

1- (A)For the Post of Junior Accountant:- A candidate for direct recruitment must hold a degree in Arts, Science or Commerce of University established by Law in India or a Foreign University declared by the Government in consultation with the Commission to be equivalent with a degree of a University established by Law in India.

Explanation :- For the purpose of the Schedule a degree in Arts or Science does not include a Degree in Agriculture, Medicine, Engineering and Technology.

(B)For the Post of Tehsil Revenue Accountant:- A candidate for direct recruitment must hold a degree in Arts, Science, Commerce or Agriculture of a University established by Law in India or of a Foreign University declared by the Government in consultation with the Commission to be equivalent of a degree of a University established by Law in India.

Note :- For the purpose of this rule a degree in Arts or Science does not include a Degree in Medicine, Engineering and Technology.

And (for both posts)

2-"O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. **Or** Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme. **Or** Diploma in Computer Science/Computer Applications of a University established by Law in India or of an institution recognized by the Government. **Or** Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government. **Or** Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

3.Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and Knowledge of Rajasthani culture. **(for both posts)**

आयु सीमा में छूट

क.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है– "Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट

1	**भूतपूर्व कैदी** जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2.	उस **भूतपूर्व कैदी** के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में उसके कारावास काल के बराबर छूट दी जायेगी ।
3.	**राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव) रुप से सेवारत** व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4.	**पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षैत्र (पब्लिक सैक्टर) के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई अधिष्ठायी** (Substantive) रुप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5.	**निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों** और **लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों** को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
6.	पूर्वी अफीका के देश कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
7.	**सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित** व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
8.	**एन.सी.सी के कैडेट प्रशिक्षकों** के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा ।**(केवल कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु लागू)**
9	**रिजर्विस्टों** अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
10.	**राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त** व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्त के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे । **(केवल तहसील राजस्व लेखाकार के पद हेतु लागू)**
11.	अपवादीय मामलों में राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर 5 वर्ष की छूट दे सकती है । **(केवल कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु लागू)**

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार"जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जाएगी।" इस प्रकार

(क) कनिष्ठ लेखाकार पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **एक वर्ष की छूट** देय होगी ।

(ख) तहसील राजस्व लेखाकार पद हेतु आयोग द्वारा वर्ष 2008 में पद विज्ञापित किए गए थे जिसके तह् आयु की गणना 01.01.2009 को की गई थी, तत्पश्चात् इन पदों हेतु कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरणः–** उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
परीक्षा केंद्र व तिथि	परीक्षा राज्य के सभी **जिला मुख्यालयों** पर आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा की तिथि यथाशीघ्र घोषित कर दी जाएगी।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा **वस्तुनिष्ठ** रूप में ली जायेगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
अवसर	राजस्थान के **अ.जा.** एवं **अ.ज.जा.** के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों को **कनिष्ठ लेखाकार** के पदों हेतु केवल **3 अवसर** देय होंगे।
आवेदन अवधि	**दिनांक 20–09–2013 से दिनांक 20–10–2013** रात्रि **12–00** बजे तक

क्रमांक :3– शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड– II व ग्रेड– III प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत)

1. दोनों पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और अभ्यर्थियों से केवल प्राथमिकता क्रम भराये जाएंगे। जो अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी दूसरे पद के लिए पात्र न हों उसे वे पद के प्राथमिकता क्रम में न भरें।
2. दोनों पदों हेतु आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में खेल–कूद से संबंधित प्रमाण पत्रों हेतु निर्धारित प्राप्तांकों का उल्लेख अवश्य करें। इस हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **फॉर्म संख्या IV** डाउनलोड कर अपने संबंधित प्रमाण पत्रों के प्राप्तांको का आकलन करें। अभ्यर्थी इसका वास्तविक मूल्यांकन संबद्ध जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित समिति से करा सकते हैं।

क. सं.	पद व विभाग	पद संख्या	योग्यताएं	आयु (दिनांक 01.01.14 को)	वेतनमान
1.	**शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड– II (Physical Training Instructor Gr-II)** माध्यमिक शिक्षा विभाग।	**1041**	1.Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) recognised by the National Council for Teacher Education. (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) 2.Working Knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.	न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 35 से कम।	**रनिंग पे बेण्ड** (रू. 9300–34800) ग्रेड पे–12 (रू. 4200/–)
2.	**शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड– III (Physical Training Instructor Gr-III)** माध्यमिक शिक्षा विभाग।	**2858**	1.Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) recognised by the National Council for Teacher Education.(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में प्रमाण प्रत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) 2. Working Knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.	न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 35 से कम।	**रनिंग पे बेण्ड** (रू. 9300–34800) ग्रेड पे–11 (रू. 3600/–)

आयु सीमा में छूट

क.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट

1	**भूतपूर्व कैदी** जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2.	**अन्य भूतपूर्व कैदी** जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3.	**इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति** अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें निरन्तर दो से अधिक अवसर नहीं दिये जावेंगे।
4.	**एन.सी.सी कैडेट इन्स्ट्रक्टर** को अधिकतम आयु सीमा में उतने ही काल की छूट दी जायेगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी और यदि परिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
5.	**कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति** के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
6.	**राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव) रुप से सेवारत** व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
7.	**पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप से सेवारत** व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8.	**रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा** में कमीशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
9.	सन् **1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित** व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
10.	**राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार** भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार "जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।" इस प्रकार **इन पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2011 में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 15.01.2012 को रखी जाकर आयु की गणना दिनांक 01.01.2013 को की गई थी, अतः उक्त प्रावधान के तहत अधिकायु में छूट देय नहीं होगी।**

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरण**:– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
परीक्षा केंद्र	परीक्षा राज्य के सभी **जिला मुख्यालयों** पर पर आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा तिथि यथाशीघ्र घोषित कर दी जाएगी।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक 20–09–2013 से दिनांक 20–10–2013** रात्रि **12–00** बजे तक

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.01.13** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव